फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

शांति देवी **बनाम** बद्री वगैरह

वाद पत्र संख्या 85 /2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
02.04.2025	यह वाद पत्र वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.04.2025 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर
25/4/25	वकालतनामा पेश हुई, अधिवक्ता सह हाजिर [illegible] का इंतजार करते हुए [illegible] दिनांक ..... पेश हुई 15/5/25
01/05/25	पत्रावली मे वादी ने पटेल लाछि० विड्रो प्रा० पत्र पेश करते हुए पत्रावली तलब की गई। विड्रो प्रा० पत्र पर वादी के करीब वादी को बुलाया गया तथा शामिल मिसल कर पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः वादी का विड्रो प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है अतः वादी का वाद पत्र इसी तरह पर विड्रो किया जाता है पत्रावली कोवाल शुमार होकर नकल से कम होने तक बाद दुर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

वि० शांति